अररिया समाहरणालय
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष सं0 : 06453-222001(का0)
06453-222102(आ0)
फैक्स सं0 : 06453-222124
Email : dm-araria.bih@nic.in

अल्पकालीन निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सम्भावित बाढ़/सुखाड़ प्रभावित प्रखण्डों में पशु शिविर के लिए पशु चारा की आवश्यकता है। दिनांक 22.07.2015 को इसके लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी, परन्तु किन्हीं निविदादाता के द्वारा निविदा नहीं डाला गया। पुनः, इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी, अररिया के पदनाम से **मो0 1,000.00 (एक हजार) रूपये** की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नगद जिला नजारत प्रशाखा, अररिया में जमा करनी होगी। अल्पकालीन निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.8.015 को अपराह्न 1.00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आवश्यक सामग्रियों की सूची निम्न प्रकार हैः-

क्र0सं0	सामग्री का नाम	साईज/गुणवत्ता	विशिष्टियाँ/अन्य विवरणी	सामग्री की मात्रा
1	गेहूँ का भूसा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
2	पुआल की कुट्टी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार

निविदा की आवश्यक शर्तेः-

1. निविदादाता के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा का 200 ग्राम नमूना के रूप में, जो पारदर्शी प्लास्टिक के थैले में मुहरबन्द हो एवं उसपर नाम/पता तथा मोबाईल नम्बर अंकित कर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
2. निविदा में सभी सामग्रियों की सभी करों सहित दर स्पष्ट करना आवश्यक होगा।
3. निविदा के समय आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की स्वाभिप्रमाणित प्रति देना आवश्यक है।
4. स्वीकृत की गयी निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सामग्रियों के भण्डारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।
5. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
6. आपूर्तिकर्त्ता को इस आशय का घोषणा-पत्र जमा करना होगा कि निर्धारित दर पर अररिया जिलान्तर्गत किसी भी राहत शिविर में आदेशानुसार सूखा चारा की आपूर्ति ससमय सुनिश्चित करेंगे।
7. आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूना के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में आपूर्ति नहीं ली जायेगी।
8. आपूर्ति की जाने वाली चारा सूखा एवं साफ होना अनिवार्य है।
9. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी।
10. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी के लिए जिला पदाधिकारी, अररिया के बेवसाईट dm-araria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

11/8/15

जिला पदाधिकारी,
अररिया